न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर

पीठासीन अधिकारी :—श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 23/2021

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2021/89

अपीलान्ट

1. गुलाबकंवर पत्नी श्री महेन्द्रसिंह पुत्री स्व. रूगनाथसिंह निवासी गांव माणाई, तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. सिरेकंवर पत्नी कृपालसिंह
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र कृपालसिंह
3. देवेन्द्रसिंह पुत्र कृपालसिंह
4. शोभाकंवर पुत्री कृपालसिंह निवासी गिलाकोर तहसील सेखाला जिला जोधपुर
5. परबतसिंह पुत्र रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह निवासी प्लॉट नम्बर 133 जेडएसबी बीजेएस आरटीओ ऑफिस के पास, जोधपुर
6. कानसिंह पुत्र रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह निवासी गिलाकोर तहसील सेखाला जिला जोधपुर
7. ग्राम पंचायत गिलाकोर तहसील सेखाला जिला जोधपुर

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत गिलाकोर नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक शुन्य के विरूद्व अपील</u>

अधिवक्तागण :—

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री जेठूसिंह।
2. रेस्पोडेन्टगण 1 से 5 अधिवक्ता श्री आवडदान चारण
3. रेस्पोडेन्टगण 6 हनवन्तसिंह भाटी।
4. रेस्पोडेन्टगण 7 अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही।

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 10/06/2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा एक म्यूटेशन अपील अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार

मौजा गिलाकोर तहसील शेरगढ हाल तहसील सेखाला में कृषि भूमि खसरा नं. 76,77,136,144,145,215 कुल खसरे 7 कुल रकबा 200.06 बीघा भूमि स्थित है जिसके खातेदार रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह थें। खातेदार रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह का दिनांक 18.02.2 को स्वर्गवास हो गया था उनकी मृत्यु के समय उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान उनके तीन पुत्र कृपालसिंह, परबतसिंह एवं कानसिंह तथा एक पुत्री गुलाबकंवर तथा धर्म पत्नी धूलकंवर थी। धूलकंवर का निधन वर्ष 2014 मे हो गया तथा कृपालसिंह का स्वर्गवास वर्ष 2011 मे हो गया जिनके वारिसान अपीलार्थी संख्या एक से चार है। वादग्रस्त आराजी रूगनाथसिंह उर्फ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji B
Date: 2024.06.14 11:50:30
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,

बालेसर

रघुनाथसिंहकी स्व. अर्जीत भूमि थी एवं उनका निवसीयत स्वर्गवास हुआ इस कारण उपरोक्त भूमि मे उनके सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान को बराबर का अधिकार विरासत मे अर्जीत हुआ। अपीलान्ट विवाहित है एवं अपने परिवार के साथ अलग निवास करती है इस कारण उसने विरासत मे प्राप्त उक्त भूमि मे अपने हिस्से को अलग करवाने के विचार से दिनांक 26.03.2021 को अपने पति के साथ जाकर जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो जमाबन्दी मे अपीलार्थी का नाम नही था। इस पर हल्का पटवारी से जानकारी प्राप्त करने पर अवगत करवाया गया कि रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह के स्वर्गवास पर जो विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया उस समय केवल उनके तीन पुत्रों व पत्नी का ही नाम दर्ज किया गया था तब इसकी जानकारी अपीलान्ट को हुई। अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 59 को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अपील के साथ अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट विवाहित है एवं अपने परिवार के साथ अलग निवास करती है इस कारण उसने विरासत मे प्राप्त उक्त भूमि मे अपने हिस्से को अलग करवाने के विचार से दिनांक 26.03.2021 को अपने पति के साथ जाकर जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो जमाबन्दी मे अपीलार्थी का नाम नही था। इस पर हल्का पटवारी से जानकारी प्राप्त करने पर अवगत करवाया गया कि रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह के स्वर्गवास पर जो विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया उस समय केवल उनके तीन पुत्रों व पत्नी का ही नाम दर्ज किया गया था तब इसकी जानकारी अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 59 की प्रथमबार जानकारी दिनांक 26.03.2021 को हुई इससे पहले कोई जानकारी नही थी। प्रथम जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। दिनांक 26.03.2021 को जानकारी होने पर उक्त अपील को अन्दर म्याद सुमार करवाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगणों को नोटिस जारी किया गया। रजिस्टर ए.डी की रसीदे शामिल मिसल है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 07 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु अवसर दिये जाने के बावजुद रेस्पोडेन्ट संख्या 07 उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 06 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 06 द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षेप तथ्य इस प्रकार है :–

अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण संख्या 59 ग्राम गिलाकोर के विरूद्व अपील पेश की गई है। रूगनाथसिंह का देहान्त दिनांक 18.02.2003 को हो गया था जिनके वारिसान मे कृपालसिंह, परबतसिंह, कानसिंह व धूलकंवर के नाम भरा गया। धूल कंवर स्व. रूगनाथसिंह की पत्नी है इस तरह उक्त जमीन रूगनाथसिंह के देहान्त के बाद उपरोक्त सभी के नाम से नामान्तकरण भरा गया। नामान्तकरण स्वीकृत करते वक्त धूलकंवर जीवित थे जिनका देहान्त वर्ष 2014 मे हुआ। अपीलार्थी ने धूलकंवर के देहान्त के बाद भरा गया नामान्तकरण के विरूद्व कोई अपील नही की गई है इसलिए इस आधार पर अपीलार्थी की उक्त अपील चलने योग्य नही है। धूलकंवर के देहान्त से पूर्व वर्ष 2011 मे कृपालसिंह का देहान्त हो चुका है जो धूलकंवर व रूगनाथसिंह का जायन्दा पुत्र है कृपालसिंह के देहान्त के बाद वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण भी भरा गया उसकी भी अपीलार्थी को बखूबी जानकारी है। धूलकंवर, कृपालसिंह परबतसिंह व कानसिंह के मध्य [illegible] का दिनांक 19.07.2006 को आपसी सहमति से बंटवाडा उप तहसीलदार बालेसर के [illegible] उक्त बंटवाडे को तस्दीक किया गया। इस तरह स्वर्गीय रूगनाथसिंह के हिस्से [illegible] भूमि का तीनो पुत्र व इनकी माता धूलकंवर के बीच मे बंटवाडा हो गया। धूलकंवर का हिस्सा [illegible]तसिंह के साथ रहा। बंटवाडे के पश्चात् परबतसिंह द्वारा अपनी माता धूलकंवर के साथ बंटवाडे मे प्राप्त हुई भूमि का हकतर्क करवाया गया जो उपपंजीयक बालेसर के समक्ष पंजीकृत हुआ। इस तरह उपरोक्त सभी दस्तावेज उपपंजीयक बालेसर के द्वारा पंजीकृत है तथा नामान्तकरण तहसीलदार बालेसर द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.06.14 11:50:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

स्वीकृत है। अपीलार्थी को सभी तथ्यो की भली भांति जानकारी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 06 द्वारा उक्त अपील को म्याद बाहर से खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकित किया गया है कि रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह प्रथम श्रेणी के वारिस उनके तीन पुत्र कृपालसिंह, पर्बतसिंह, कानसिंह व पुत्री गुलाबकंवर हुई। अपीलार्थी विवाहित है एवं उनके परिवार के साथ निवास करती है। दिनांक 26.02.2021 को अपने पति के साथ जाकर हल्का पटवारी की जमाबंदी की नकले प्राप्त करने पर अपीलार्थी को प्रथम बार जानकारी हुई थी इससे पूर्व अपीलार्थी को जानकारी रेकर्ड मे नाम बाबत् नही रही होगी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अपील को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली में बहस की गई। बहस सूनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया एवं वादग्रस्त आराजी को अपने पिता की स्व. अर्जीत भूमि बताते हुए उसमे अपीलान्ट का भी हिस्सा होने के तर्क दिये गये। अपने कथन के समर्थन मे उन्होने आर.आर.डी.1998 पेज 319, आर.आर.डी. 1995 पेज 300 एवं आर.आर.डी. 14.02. 2009 पेज 101 पेश किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 06 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस मे बताया कि अपीलान्ट को विवादित नामान्तकरण की पूर्व मे जानकारी थी। विवादित नामान्तकरण के पश्चात् वादग्रस्त आरजी का विधिवत रूप से बंटवाडा किया गया एवं रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह की पत्नी द्वारा अपना हक पुत्र परबतसिंह को हकतर्क किया गया अपने कथन के समर्थन मे उन्होने आर.आर.डी.2008 पेज 168, आर.आर.डी.2008 पेज 207 पेश किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के संलग्न धारा 05 म्याद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका अवलोकन किया गया। मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित कारणों पर भी मनन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपने मियाद प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया है कि उनको विवादित नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी 26.03. 2021 को हुई थी। विवादित नामान्तकरण का अवलोकन किया गया। विवादित नामान्तकरण संख्या 59 वर्ष 2004 मे भरा गया था। अपीलान्ट द्वारा 17 वर्ष बाद विवादित नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की गई है अपीलान्ट द्वारा इतने वर्ष पश्चात् अपील पेश करने का कोई ठोस कारण अपनी अपील या म्याद प्रार्थना पत्र मे अंकित नही किया गया। इसके अतिरिक्त विवादित नामान्तकरण के पश्चात् वादग्रस्त आराजी का सहमति से बंटवाडा उप तहसीलदार बालेसर के समक्ष पेश होने पर सहमति से बंटवाडा भी किया जा चुका है एवं विभिन्न प्रकार के दस्तावेज पंजीकृत किये गये है। जिसका अंकन अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मे नही किया गया है और न ही अपीलान्ट द्वारा पंजीकृत दस्तावेजों एवं बंटवाडे के विरूद्व किसी अन्य न्यायालयों मे अपील दायर की गई है।

अतः प्रस्तुत अपील धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत पोषणीय नही होने से अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 10/6/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.06.14 11:50:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर

(रामजी भाई कलबी)
पीठासीन अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर